

**यू०एस०आर०एल०एम०**  
**राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई, ग्राम्य विकास विभाग**  
**आजीविका भवन, सर्वे चौक, देहरादून।**  
**आदेश**

संख्या ११३५ /२६२/यू०एस०आर०एल०एम०  
दिनांक ०४ दिसम्बर, २०१७

शासनादेश - सं०-११३५/२६२/यू०एस०आर०एल०एम०/२०१७ दिनांक ०७ दिसम्बर, २०१७ को स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण तथा अनुश्रवण आदि के संदर्भ में सक्रिय महिलाओं की सेवाये लिये जाने विषयक जारी आदेश के क्रम में यह स्पष्ट करना है कि उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट उपनियमों के अधीन सक्रिय महिला को यथा नियमानुसार स्वयं की ग्राम पंचायत में कार्य करना है तथा उक्त कार्य के सापेक्ष देय मानदेय, महात्मागांधी नरेगा के तहत अकुशल श्रमिक को प्रतिदिन देय मानदेय के अनुसार ही होगा जो कि वर्तमान में ₹० १७५ प्रतिदिन प्रतिश्रमिक देय है। उक्त के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य कोई भी भत्ता/किराया/ब्यय आदि देय नहीं होगा। महात्मा गांधी नरेगा में अकुशल श्रमिक के मानदेय में बृद्धि होने की दशा में सक्रिय महिला का मानदेय में भी स्वतः बृद्धि समझी जायेगी। उक्त मानदेय केवल शासनादेश सं० ११३५/२६२/यू०एस०आर०एल०एम०/२०१७ दिनांक ०७ दिसम्बर, २०१७ को जारी आदेश के आलोक में ही विधिमान्य होगा।

(युगल किशोर पंत)  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी।  
यू०एस०आर०एल०एम०

**प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-**

१. सयुक्त सचिव, आर०एल०, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
२. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
३. समस्त मुख्य विकास अधिकारी उत्तराखण्ड।
४. समस्त जिला मिशन प्रबंधक, यू०एस०आर०एल०एम०, उत्तराखण्ड।
५. एम०आई०एस०, यू०एस०आर०एल०एम०, आजीविका भवन को इस निर्देश के साथ कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।

(युगल किशोर पंत)  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी।  
यू०एस०आर०एल०एम०